



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102022-239682
CG-DL-E-15102022-239682

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]
No. 265]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 14, 2022/आश्विन 22, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2022/ASVINA 22, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2022

सं. 31/2015-2020

विषय: भारत में मरम्मत के बाद निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार-पत्र (जीईआर) की प्रक्रिया को अधिसूचित करने के लिए विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 की प्रक्रिया पुस्तक में पैराग्राफ 2.79ग (घ) को शामिल करना।

फा. सं. 01/91/180/18/एम-17/ईसी(एस).—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) में पैरा 2.79ग (घ) एक नई प्रविष्टि के रूप में शामिल करने हेतु तत्काल प्रभाव से संशोधन करते हैं।

2. विदेश व्यापार नीति, 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक के उप-पैरा 2.79ग (ग) के बाद निम्नानुसार नई प्रविष्टि की जाएगी:

“घ. भारत में मरम्मत के बाद निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीईआर) के तहत विदेशों से आयातित उसी स्कोमेट वस्तुओं को उसी इकाई को निर्यात किए जाने के लिए प्राधिकार-पत्र”

क. भारत में मरम्मत के बाद विदेश में उसी इकाई को आयातित स्कोमेट वस्तुओं के निर्यात की अनुमति डीजीएफटी द्वारा जारी तिमाही आधार पर पश्च रिपोर्टिंग के अधीन भारत में मरम्मत के बाद निर्यात के लिए एकमुश्त सामान्य प्राधिकार पत्र (जीईआर) के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी:

- क. अनुबंध समझौता/मास्टर सेवा समझौते (एमएसए) के तहत मरम्मत के उद्देश्य से भारत में नामित/प्राधिकृत मरम्मत सुविधा के लिए स्कोमेट मदों का आयात किया गया था या भारतीय निर्यातक, मरम्मत सुविधा की इकाइयों (यदि निर्यातक से भिन्न हो) और विदेश में 'कार्य विवरण (एसओडब्ल्यू)/'कार्य का दायरा' को परिभाषित करने वाली इकाइयों के बीच एक अनुबंध समझौते के तहत आयातित, जिसमें भारत में मरम्मत करने की शर्तें शामिल हैं;
- ख. मदों को विदेशों में उसी इकाई और स्थान पर निर्यात किया जाना है जहां से मदें आयात की गई हैं;
- ग. निर्यातक को वैधता अवधि के दौरान केवल एक बार मरम्मत के बाद निर्यात के लिए पंजीकरण और सामान्य प्राधिकार-प्राप्त करना अपेक्षित है। आगामी निर्यात/पुनः निर्यात पश्च रिपोर्टिंग के अधीन है;
- घ. पहली शिपमेंट के लिए जीईआर के लिए आवेदन करते समय निर्यातक को आयातित वस्तु के लिए प्रविष्टि बिल प्रदान करना अपेक्षित है;
- ङ. मरम्मत के बाद निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार-पत्र, सामान्य प्राधिकार-पत्र के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जो इस तरह के निर्यात की तारीख से 30 दिनों के भीतर आगामी पश्च रिपोर्टिंग (रिपोर्टिंग्स) के अधीन होगा;
- च. आगामी निर्यात की अनुमति उसी इकाई और स्थान को दी जाएगी, जिसे मूल रूप से लाइसेंस जारी किया गया है। टिप्पणी: उसी इकाई का अर्थ होगा कि (क) विदेशी खरीदार (ख) परेषिती या मध्यस्थ, यदि कोई हो (ग) अंतिम उपयोगकर्ता बिल्कुल वही है जिसके लिए आवेदक निर्यातक को प्राधिकार-पत्र जारी किया गया है;
- छ. मरम्मत के बाद स्कोमेट मद (मदों) की मूल विशेषताओं/विनिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और मरम्मत कार्य के दौरान कोई मूल्यवर्धन नहीं किया गया है।
- ज. कोई निर्यात प्राधिकार-पत्र तब नहीं दिया जाएगा जब प्रारंभिक निर्यात प्राधिकार-पत्र को आयातक देश द्वारा निलंबित, संशोधित या निरस्त कर दिया गया हो;
- झ. जैसा कि आईएमडब्ल्यूजी द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है, यूएनएससी द्वारा प्रतिबंधित गंतव्यों या उच्च जोखिम वाले देशों/संस्थाओं के लिए कोई निर्यात प्राधिकार-पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा;
- ट. 'अंतिम उपयोग' और 'अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र' के किसी विवरण की आवश्यकता नहीं होगी;
- ठ. विशिष्ट मद और विशिष्ट इकाई (खरीदार/अंतिम उपयोगकर्ता) के लिए जारी किया गया जीईआर लागू नहीं होगा यदि पुनः निर्यात एक अलग आयातित वस्तु या एक अलग इकाई या अधिकृत ओईएम के लिए है। ऐसे मामलों में, या तो एक नया जीईआर प्राधिकार-पत्र लागू किया जा सकता है या प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.79 ग (ग) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

ख. जीईआर के लिए आवश्यक दस्तावेज

1. मद (मदों के आयात का प्रमाण):

- क. भारत में मदों के मूल आयात के लिए विदेशी देश द्वारा जारी निर्यात लाइसेंस (यदि लागू हो);
- ख. दस्तावेजी प्रमाण और/या स्व-घोषणा जिसे मद को लाइसेंस की आवश्यकता से छूट दी गई है या भारत के लिए लाइसेंस की आवश्यकता के तहत नहीं रखा गया है;
- ग. प्रविष्टि बिल (पहली बार)

2. दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त वस्तुओं की मरम्मत के लिए दायित्व का प्रमाण

भारतीय निर्यातक और विदेश में इकाई (जिससे माल शुरू में आयात किया गया था) के बीच अनुबंध समझौता और/या 'कार्य का विवरण (एसओडब्ल्यू)/मास्टर सेवा समझौता (एमएसए) भारत में मरम्मत करने के लिए शर्तों को परिभाषित करता है।

3. भारतीय निर्यातक द्वारा वचन-पत्र

आवेदक निर्यातक से एक वचन-पत्र (फर्म के शीर्ष-पत्र पर विधिवत हस्ताक्षरित और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर लगा) जिसमें यह विवरण हो कि:

- क. मरम्मत के बाद निर्यात की जाने वाली आयातित मदों का विवरण, उनके स्कोमेट श्रेणी/उप-श्रेणी संख्या (संख्याओं), मात्रा, मद विवरण और विदेशी देश के ईसीसीएन (यदि उपलब्ध हो) के साथ;
- ख. मद (मदों) को उसी इकाई को निर्यात किया जा रहा है जहां से इसे मूल रूप से मरम्मत और वापसी के उद्देश्य से आयात किया गया था;
- ग. आयात के बाद मद (मदों) की मूल विशेषताओं/विनिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और मरम्मत कार्य के दौरान कोई मूल्यवर्धन नहीं किया गया है;
- घ. दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त वस्तुओं की मरम्मत की अनुमति भारतीय निर्यातकों और इकाईयों के बीच आयात या संविदात्मक समझौते की शर्तों के तहत दी गई है, जहां से माल आयात किया गया था;
- ङ. शिपिंग बिल और आगामी पुनः निर्यात के गंतव्य देश में प्रविष्टि बिल और डीजीएफटी द्वारा मांगी गई कोई अन्य जानकारी तिमाही आधार पर डीजीएफटी को प्रस्तुत की जाएगी;
- च. उन मदों का उपयोग सैन्य अनुप्रयोगों के लिए या विकसित करने, अधिग्रहण करने, निर्माण करने, रखने, परिवहन, हस्तांतरण या उपयोग, रासायनिक, जैविक, परमाणु हथियारों या ऐसे हथियारों की डिलीवरी करने में सक्षम मिसाइल के लिए नहीं किया जाएगा;

ग. जीईआर के तहत मदों/सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के पुनः निर्यात के लिए पश्च रिपोर्टिंग

- i. भारतीय निर्यातक को जीईआर के तहत स्कोमेट मदों/सॉफ्टवेयर/प्रौद्योगिकी के निर्यात के प्रत्येक अंतरण/खेप का विवरण पिछली तिमाही में किए गए निर्यात के संबंध में प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के बाद के महीने के अंत तक त्रैमासिक आधार (मार्च/जून/सितम्बर/दिसम्बर) पर ई-मेल (scomet-dgft@nic.in) अथवा डीजीएफटी द्वारा यथा-निर्धारित एक प्रक्रिया द्वारा स्कोमेट प्रभाग, डीजीएफटी (मुख्यालय) नई दिल्ली को प्रस्तुत करना होगा।
- ii. पश्च शिपमेंट के विवरण में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के भीतर प्रविष्टि बिल (जहां भी उपलब्ध हो), शिपिंग बिल विवरण, वैध निर्यात लाइसेंस प्रति जमा करना शामिल होगा;
- iii. ऐसा करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और/या जीईआर का निलंबन/निरसन और एफटीडीआर अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

घ. वैधता

- क. मरम्मत के बाद आयातित स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए जारी जीईआर, प्राधिकार-पत्र जारी होने की तारीख से **1 वर्ष** की अवधि के लिए वैध होगा, बशर्ते कि ऐसे निर्यात से 30 दिनों के भीतर पश्च रिपोर्टिंग की जाए।
- ख. एफटीपी 2015-20 के एचबीपी के पैरा 2.80 के संदर्भ में जीईआर का पुनःवैधीकरण नहीं किया जा सकता है।

ङ. निलंबन/निरसन

जारी किया गया जीईआर प्रसार चिंता पर प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर या निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रिपोर्ट/दस्तावेज प्रस्तुत न करने या इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों का अनुपालन न करने पर डीजीएफटी द्वारा निलंबित/निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

च. सामान्य शर्तें

- i. रासायनिक, जैविक, परमाणु हथियारों अथवा जनविनाशकारी अस्त्रों को पहुंचाने वाली मिसाइलों और उनकी डिलीवरी प्रणाली के निर्माण, विकास, प्राप्ति, विनिर्माण, अधिकार, परिवहन, अंतरण और/या प्रयोग के लिए प्रयुक्त की जाने वाली साफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित मदों के मामले में जीईआर जारी नहीं किया जाएगा;

- ii. यूएनएससी व्यापार प्रतिषेध या प्रतिबंधित सूची के तहत शामिल देशों अथवा इकाइयों या राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के विचार के आधार पर प्रसार चिंता के जोखिम के लिए मूल्यांकन किए गए देशों या इकाइयों हेतु जीईआर जारी नहीं किया जाएगा।
- iii. डीजीएफटी बिना कोई कारण (कारणों को) बताए जीईआर जारी करने से इनकार करने या जीईआर को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

छ. पहले निर्यात/शिपमेंट के बाद आईएमडब्ल्यूजी सदस्यों के साथ किसी भी परामर्श के बिना, आयात किए गए सामानों से उसी इकाई को निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार-पत्रों को प्रदान करने के लिए आवेदनों को आईएमडब्ल्यूजी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। असाधारण मामलों में, यदि आवश्यक हो, तो जीईआर जारी करने से पहले आईएमडब्ल्यूजी के साथ परामर्श किया जा सकता है।

ज. ऐसे सभी प्राधिकार-पत्रों को कार्यान्वयन आधार पर अनुमोदन की पुष्टि के लिए आईएमडब्ल्यूजी की बाद की बैठक में उसके समक्ष लाया जाएगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

मरम्मत के बाद निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार-पत्र (जीईआर) के लिए नीति और प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) में पैराग्राफ 2.79ग(घ) को जोड़ा गया है।

संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

टिप्पणी : मरम्मत के बाद निर्यात के लिए एक सामान्य प्राधिकार-पत्र (जीईआर), मदों के निर्यात के लिए उसी इकाई हेतु, कई बार लागू होगा।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th October, 2022

No. 31/2015-2020

Subject:-Inclusion of Paragraph 2.79C (D) in the Handbook of Procedures of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 to notify the procedure for General Authorisation for Export after Repair in India (GAER)

F. No. 01/91/180/18/AM-17/EC(S).—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20, the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby makes amendment to Handbook of Procedures (HBP) of FTP 2015-20 for inclusion of new entry at Paragraph 2.79C (D) with immediate effect.

2. **After Sub-Para 2.79C (C) of the HBP of FTP 2015-2020, a new entry shall be inserted as under:**

“D. Authorization for export of same imported SCOMET items to same entity abroad under General Authorization for Export after Repair in India (GAER)”

A. Export of imported SCOMET items to the same entity abroad after repair in India will be allowed on the basis of a onetime General authorization for Export after Repair in India (GAER) subject to post reporting on quarterly basis issued by DGFT, subject to the following conditions:

- The SCOMET items were imported to a designated/authorized repair facility in India for the purpose of repair under a contract agreement/Master Service agreement (MSA); *or* Imported under a contract agreement between Indian exporter, entities of repair facility (if different from exporter) and entity abroad defining ‘Statement of Work (SOW)’/ ‘Scope of Work’ including conditions for undertaking repair in India;
- The items are to be exported to the same entity and location abroad from which the item(s) has/have been imported;
- The exporter is required to register and obtain General authorization for export after repair only once during the validity period. Subsequent export/re-export is subject to post reporting;

- d. The exporter is required to provide Bill of Entry for the imported item while applying for GAER for the first shipment.
- e. General authorization for export after repair shall be valid for a period of one year from the date of issue of General authorization subject to subsequent post reporting(s) within 30 days from the date of such export;
- f. Subsequent export would be allowed to the same entity and location to which the license has originally been issued. Note: Same entity would imply that (a) foreign buyer (b) consignee or intermediaries, if any (c) the end user are exactly the same for which authorisation has been issued to the applicant exporter.
- g. There has been no change to the original characteristics/specifications of the SCOMET item(s) after repair and no value addition has been done during the repair work;
- h. No Export Authorisation would be granted when the initial export authorisation has been suspended, modified or revoked by country of import;
- i. No Export authorisation would be granted for UNSC sanctioned destinations or countries/entities of high risk, as assessed by the IMWG, from time to time;
- j. No details of 'End Use' and 'End Use Certificate' would be required;
- k. GAER issued for specific item and specific entity (buyer/end user) shall not be applicable in case the re-export is of a different imported item or to a different entity or Authorised OEM. In such cases, either a new GAER authorization may be applied or application may be filed under Para 2.79 C (C) of HBP.

B. Documents Required for GAER

1. Proof of import of the item(s):

- a. Export License (if applicable) issued by the foreign country for original import of the items to India;
- b. Documentary proof and/or self declaration that the item exempted from license requirement or place under no license requirement for India.
- c. Bill of Entry (first time)

2. Proof of obligation for repair of defective/damaged items:

Contract agreement and/or 'Statement of Work (SOW)'/ Master Service agreement (MSA) between Indian exporter and with the entity abroad (from which the goods were imported initially) defining conditions for undertaking repair in India.

3. An Undertaking from the Indian exporter;

An Undertaking from the applicant exporter (on the letter head of the firm duly signed and stamped by the authorized signatory) stating:

- a. Details of imported items to be exported after repair alongwith their SCOMET Category /Sub-category number(s), quantity, item description and ECCN of foreign country (if available) ;
- b. That item(s) are being exported to the same entity from which it was originally imported for repair and return purpose.
- c. That there has been no change to the original characteristics/specifications of the item(s) after import and no value addition has been done during the repair work;
- d. That the repair of defective/damaged items is allowed under the conditions of import or contractual agreement between Indian exporters and entities from which goods were imported.
- e. That Shipping Bills and Bill of Entry into destination country of subsequent re-exports and any other information as sought by DGFT shall be submitted to DGFT on quarterly basis.
- f. That items would not used for military applications or to develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer or use, chemical, biological, nuclear weapons or for missile capable of delivering such weapons.

C. Post reporting for re-export of items/software/technology under GAER

- i. The Indian exporter shall submit post-shipment details of each transfer/consignment of exports of SCOMET items/software/technology under GAER to the SCOMET Division of DGFT (Hqrs), New Delhi, via E-mail (scomet-dgft@nic.in) or a procedure as prescribed by DGFT, on quarterly basis March/June/September/December), by the end of subsequent month of each quarter, in respect of the exports made in the previous quarter.

- ii. The post-shipment details shall include submission of Bill of Entry (wherever available), shipping bill details, valid export license copy within the timelines mentioned above.
- iii. Failure to do so may entail imposition of penalty and / or suspension/revocation of GAER and action as per FTDR Act.

D. Validity

- a) GAER issued for export of imported SCOMET items after repair shall be valid for a period of **1 year** from the date of issue of GAER subject to subsequent post reporting(s) within 30 days from such export;
- b) GAER cannot be re-validated in terms of Paragraph 2.80 of HBP of FTP 2015-20.

E. Suspension / Revocation

GAER issued shall be liable to be suspended / revoked by the DGFT on receipt of an adverse report on proliferation concern or for non-submission of mandatory reports /documents within the prescribed timelines or for non-compliance with the conditions of this Public Notice.

F. General conditions

- i. GAER would not be issued in case of items to be used to design, develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer and/or used for chemical, biological, nuclear weapons or for missiles capable of delivering weapons of mass destruction and their delivery system;
- ii. GAER would not be issued for countries or entities covered under UNSC embargo/ sanctions or on assessment of proliferation concerns, or national security and foreign policy considerations, etc.;
- iii. DGFT shall reserve the right to deny issuance of GAER or recall GAER without assigning any reason(s).

G. Applications for grant of General authorizations for export to the same entity from goods were imported shall be approved by Chairman IMWG, without any consultation with IMWG members after the first export/shipment. In exceptional cases, consultation with IMWG may be done prior to issuance of GAER, incase required.

H. All such authorizations shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for confirmation of approval, on ex-post facto basis.

Effect of this Public Notice:

Paragraph 2.79C (D) has been added in the Handbook of Procedures (HBP) of Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 to lay down the policy and procedure for General Authorization for Export after Repair (GAER).

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.

Note 1: One General Authorisation for Export after Repair (GAER) will be applicable for export of items to the same entity multiple times.